

२०१५/०००४९

५७

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी - विनोद कुमार मीना आर० ए० एस०  
प्रकरण संख्या-102/2015

1-राजेन्द्र पुत्रश्री महतावसिंह 2-भगवानसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति ठाकुर निवासी  
ग्राम कूकरा मांकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

वादीगण

बनाम

1-सुरेन्द्रसिंह पुत्रश्री ओमवीरसिंह 2-भमरसिंह पुत्रश्री गजसिंह 3-विमलेश कुमारी पत्नी  
भमरसिंह 4-रामनरेश 5-सन्जू 6-शिवनारायण पुत्रगण कैलाशी 7-ज्ञानसिंह पुत्रश्री  
रामचन्द्र 8-ऋषिकेश पुत्रश्री ज्ञानसिंह 9-गुडडी पत्नी कृष्णसिंह 10-करुआ 11-आशु  
पुत्रश्रीगण श्रीकृष्णसिंह 12-निर्मला पुत्री कृष्णसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम मढा  
तहसील सैपऊ

13-मुन्नी पत्नी परसादी जाति धोवी निवासी मढा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर  
14-पी एल डी बी बैंक शाखा धौलपुर जरिये प्रबन्धक  
15-पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ जरिये प्रबन्धक  
16-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

प्रतिवादी

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं  
स्थाई निशेधाज्ञा

उपरिस्थिति-


1-श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट-वादीगण

दिनांक : 11.7.2016

निर्णय

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा नम्बर  
81, 83, 107, 126 वाके ग्राम मढा एवं आराजी खसरा नम्बर 80/2732 वाके ग्राम  
सरेखी तहसील सैपऊ का वास्ते बटवारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जो उभयपक्ष  
को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 15.6.2016 को  
प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड वाउण्डस बटवारा  
किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को मौके अनुसार प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु  
निर्देशित किया गया।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत  
किये। विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान अभिभाषक वादीगण को सुना तथा पत्रावली का  
अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक वादीगण द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा



१

अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन आवेधानुसार ही तैयार कर भिजवाये है । इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के हिस्से अनुसार ही हैं। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम मढा व सरेखी तहसील सैपऊ के वावत पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-मुन्नी पत्नी परसादी हि0 11/125 जाति धोवी , सुरेन्द्रसिंह पुत्रश्री ओमवीर हि0 10/125, भंवरसिंह पुत्रश्री गजसिंह हिस्सा 33/125, विमलेश पत्नी भंवरसिंह हिस्सा 17/125, ज्ञानसिंह पुत्रश्री रामचन्द हिस्सा 16/125, ऋषिकेश पुत्रश्री ज्ञानसिंह हि0 17/125, रामनरेश, सन्जू, शिवनारायन पुत्रान कैलाशी हि0ब0 17/125 राहिन पी एन वी शाखा सैपऊ गुडडी पत्नी कृष्णसिंह, सन्तकुमार, आशुतोष पुत्रान कृष्णसिंह, निर्मला पुत्रीश्री कृष्णसिंह हिस्सा बराबर 4/125 जाति ठाकुर निवासी ग्राम मढा तहसील सैपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	83/1	6.05

योग 1 6.05

2-राजेन्द्रसिंह पुत्रश्री महतावसिंह हिस्सा 1/2, भगवानदेई पत्नी राजेन्द्रसिंह हिस्सा 1/2 जाति ठाकुर निवासी कूकरा तहसील सैपऊ राहिन पी एन वी शाखा सैपऊ


क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	83/2	1.04

योग 1 1.04

3-सुरेन्द्रसिंह पुत्रश्री ओमवीर हि0 16/96, भंवरसिंह पुत्रश्री गजसिंह हिस्सा 26/96, रामनरेश, सन्जू, शिवनारायन पुत्रान कैलाशी हि0ब0 13/96 विमलेश पत्नी भंवरसिंह हिस्सा 12/96, ज्ञानसिंह पुत्रश्री रामचन्द हिस्सा 13/96, ऋषिकेश पुत्रश्री ज्ञानसिंह हिस्सा 12/96 राहिन पी एन वी शाखा सैपऊ गुडडी पत्नी कृष्णसिंह , सन्तकुमार, आशुतोष पुत्रान कृष्णसिंह, निर्मला पुत्रीश्री कृष्णसिंह हिस्सा बराबर 4/96 जाति ठाकुर निवासी ग्राम मढा तहसील सैपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	81	0.17
	107/1	1.13
	126	2.06

योग 3 4.16

  
 तहसीलदार सैपऊ  
 तहसील मढा  
 तहसील सैपऊ

4- राजेन्द्रसिंह पुत्रश्री महतावसिंह हिस्सा 9/19, भगवानदेई पत्नी राजेन्द्रसिंह हिस्सा 10/19 जाति ठाकुर निवासी कूकरा तहसील सैपऊ राहिन पी एन वी शाखा सैपऊ

क०स०	ख०न०	रकवा
1.	107/2	0.19

योग 1 0.19

5- भंवरसिंह पुत्रश्री गजसिंह, विमलेश पत्नी भंवरसिंह हिस्सा बराबर 2/5, ऋषिकेश पुत्रश्री ज्ञानसिंह, ज्ञानसिंह पुत्रश्री रामचन्द्र हि०ब० 27/100, रामनरेश, सन्जू, शिवनारायण पुत्रान कैलाशी हि०ब० 1/5 राहिन पी एन वी शाखा सैपऊ गुडडी पत्नी कृष्णसिंह सन्तकुमार, आशुतोष पुत्रान कृष्णसिंह, निर्मला पुत्री कृष्णसिंह हिस्सा बराबर 13/100 जाति ठाकुर निवासी ग्राम मढा तहसील सैपऊ

क०स०	ख०न०	रकवा
1.	80/2732/1	5.00

योग 1 5.00


6- राजेन्द्र पुत्रश्री महताव हि० 1/2, भगवानदेई पत्नी राजेन्द्रसिंह हिस्सा 1/2 जाति ठाकुर निवासी ग्राम कूकरा राहिन पी एन वी शाखा सैपऊ

क०स०	ख०न०	रकवा
1.	80/2732/2	1.00

योग 1 1.00

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा० की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी सैपऊ  
राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट  
सैपऊ मुख्यालय